उत्तराखंड में जेई की भर्ती व पदोन्नति में नहीं होगा साक्षात्कार

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) के पदों पर अब साक्षात्कार नहीं होगा। सीधी भर्ती से यह व्यवस्था समाप्त कर ही दी गई है।

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) के पदों पर अब साक्षात्कार नहीं होगा। सीधी भर्ती से यह व्यवस्था समाप्त कर ही दी गई है, साथ ही पदोन्नति में भी साक्षात्कार के दस अंक विभागीय सेवा में जोड़ दिए गए हैं।
शासन ने अवर अभियंता (विद्युत एवं मैकेनिकल) ड्राफ्ट नियमावली 2015 में यह संशोधन प्रस्तावित कर विभाग को संशोधित नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

पढ़ें-उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ा

प्रदेश में इस समय अधिकांश पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त की जा चुकी है। साक्षात्कार में भेदभाव व भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते यह कदम उठाया गया था। अब शासन ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अवर अभियंताओं की नियमावली में भी इस बिंदू को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव ऊर्जा उमाकांत पंवार की ओर से इस संबंध में निदेशक उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में अभी तक चली आ रही नियमावली में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

पढ़ें: उपनल कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 18 जुलाई से लौटेंगे काम पर

इसके तहत अवर अभियंता पद पर सीधी भर्ती की आयु सीमा 42 वर्ष रखने के साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि जो विभागीय कर्मचारी सीधी भर्ती के तहत इन पदों के लिए आवेदन करेगा उसके लिए भी आयु सीमा 42 वर्ष ही रहेगी।
पहले निगम में कर्मचारियों को सीधी भर्ती के तहत आवेदन करने के लिए आयु सीमा में पूर्ण छूट थी। संशोधित प्रस्ताव में निगम को यह भी स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रकिया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं सरकार की ओर से स्थापित अन्य भर्ती आयोग व परिषद के माध्यम से कराई जाएगी। इन संस्थाओं की ओर से भर्ती प्रक्रिया कराने में असमर्थता जाहिर करने के बाद ही राज्य सरकार की अनुमति से यह प्रक्रिया निगम स्तर से कराई जाएगी।